BOTTLING RULE

उत्तराखण्ड शासन

आबकारी विभाग

संख्या 983/XXIII/2012/04(55)/2012

देहरादून: दिनांक: 24 दिसम्बर, 2012

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की आबकारी नीति 2012-13 के बिन्दु 33(ख) को स्पष्ट करते हुए बाटलिंग प्लांट की स्थापना हेतु निम्नलिखित नियम बनाते है :-

1. एफ0एल0एम0-1 प्रपत्र :-

एफ0एल0एम0-1 प्रपत्र पर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को आवेदन करेगा। आवेदक, आवेदन पत्र के साथ परियोजना आख्या (Project Report), नील पत्रों की तीन प्रतियाँ, जिसमें भवनों की अवस्थिति, बाटलिंग प्लान्ट के लिये आवश्यक मशीनरी की अवस्थिति व वैट तथा वेयर हाउसों की अवस्थिति का स्पष्ट अंकन होगा, भूमि की उपयोगिता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा तथा अन्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र जो उद्योग लगाने हेतु अनिवार्य है भी संलग्न करने होंगे।

2. एफ0एल0एम0-01 अनुज्ञापन हेतु शुल्क का निर्धारण :-

एफ0 एल0 एम0-01 प्रपत्र पर आवेदन शुल्क के रूप में ₹ 15000/- का चालान आवेदक को उक्त प्रपत्र के साथ जमा कराना होगा।

3. पात्रता की शर्ते :-

आवेदक आसवनी के लिए एफ0एल0एम0-02 अनुज्ञापन प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित पात्रता की शर्तें पूरी करना अनिवार्य होगा ।

(i) आवेदक, आसवनी को आवेदन की तिथि से पाँच वर्ष पूर्व संस्थापित होना चाहिए।

(ii) आवेदक आसवनी कम से कम तीन राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश में अपने ब्राण्ड्स की बिक्री करता हो।

(iii) आवेदक आसवनी का विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष उत्पादन दो लाख पेटियां हो

नोट:- बिन्दु संख्या (i), (ii) एवं (iii) के सत्यापन हेतु आसवनी में नियुक्त सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(iv) आवेदनकर्ता आसवनी और उसके द्वारा नामित व्यक्ति/कम्पनी उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी प्रकार के राजस्व का बकायेदार नहीं होना चाहिए।

(v) आवेदक आसवनी या उसके द्वारा नामित व्यक्ति/कम्पनी लागू उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 आबकारी नियमों के तहत अनुज्ञापन हेतु विवर्जित नहीं होना चाहिए।

(डी0 एस0 चौहान)
उप आबकारी आयुक्त,
लाईसेंसिंग,
मुख्यालय, देहरादून।

26/12/12
(डी0 वी0 सिंह)
संयुक्त आबकारी आयुक्त

(दिलीप जावलकर)
आबकारी आयुक्त

नोटः—उत्तराखण्ड शासन की आबकारी नीति, 2002—2003, दिनांकः 24 अप्रैल 2002 के बिन्दु—1(ख) में अधिसूचित मद्यनिषेध क्षेत्रों में बाटलिंग प्लान्ट हेतु किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. एफ0एल0 एम0—02 प्रपत्र :—

आवेदक आसवनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा परिक्षणोपरांत अपनी संस्तुति आबकारी आयुक्त को प्रेषित की जायेगी। आबकारी आयुक्त द्वारा अपनी संस्तुति शासन को अन्तिम निर्णय हेतु प्रेषित की जायेगी, शासन की संस्तुति प्राप्त होने पश्चात आवेदक को एफ0एल0एम0—02 अनुज्ञापन निर्गत किया जायेगा, जिसकी वैधता अवधि उक्त अनुज्ञापन को निर्गत करने की तिथि से 01 वर्ष की होगी।

5. एफ0एल0एम0—02 अनुज्ञापन हेतु शुल्क का निर्धारण :—

एफ0एल0एम0—02 अनुज्ञापन शुल्क ₹ 2 लाख होगा। आवेदक द्वारा उक्त शुल्क एन0एस0सी0 के रूप में आबकारी आयुक्त के पदनाम से प्रतिश्रुत किया जायेगा। निर्धारित समयावधि में आवेदक, आसवनी द्वारा बाटलिंग प्लांट की स्थापना न कर पाने की स्थिति में उक्त प्रतिभूति की धनराशि को सरकार के पक्ष में जब्त करने का पूर्ण अधिकार आबकारी आयुक्त को होगा। निर्धारित समयावधि से अधिक समय की मांग किये जाने पर आवेदक द्वारा पुनः सम्पूर्ण धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी। एफ0एल0एम0—02 अनुज्ञापन को जनहित में निरस्त करने का अधिकार आबकारी आयुक्त को होगा, किन्तु इस प्रकार एफ0एल0एम0—02 अनुज्ञापन निरस्त करने से पूर्व एफ0एल0एम—2 अनुज्ञापी को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जायेगा। ऐसे निरस्त एफ0एल0एम0—02 को हुयी हानि का कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा, ना ही एफ0एल0एम—02 अनुज्ञापन शुल्क वापस किया जायेगा।

6. एफ0एल0 एम0—03 प्रपत्र :—

आवेदक, आसवनी द्वारा बाटलिंग प्लान्ट की स्थापना पूर्ण होने के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त को सूचित किया जायेगा। एफ0एल0एम0—02 अनुज्ञापी द्वारा विनिर्माणशाला (Manufactory) की स्थापना हेतु बाटलिंग मशीन, वैट, पाईप लाईन्स, वेयर हाउस, व अन्य आवश्यक संसाधन, नील पत्रों के अनुसार स्थापित किये जाने की जांच एक तकनीकी समिति द्वारा की जायेगी, जिसका गठन आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा, उक्त के पश्चात आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञापी को विनिर्माणशाला (Manufactory) में कार्य करने हेतु एफ0एल0एम0—03 अनुज्ञापन शुल्क जमा करने के पश्चात उस वित्तीय वर्ष हेतु एफ0एल0एम0—03 अनुज्ञापन जारी किया जायेगा। अन्य सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करने पर एफ0 एल0 एम0—03 अनुज्ञापन का नवीनीकरण आबकारी आयुक्त द्वारा प्रतिवर्ष अग्रिम अनुज्ञापन शुल्क जमा करने के पश्चात् किया जायेगा।

7. एफ0एल0एम0—03 अनुज्ञापन हेतु अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण :—

(i) एफ0एल0एम0—03 अनुज्ञापन हेतु अनुज्ञापन शुल्क वर्ष या वर्ष के भाग के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिष्ठापित क्षमता के आधार पर सम्बन्धित वर्ष की आबकारी नीति के अनुरूप अग्रिम रूप से जमा करायी जायेगी।

(ii) अधिष्ठापित क्षमता के निर्धारण का अधिकार शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त को होगा।

(iii) एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापी को मात्र उन्हीं ब्राण्डों की बाटलिंग का अधिकार प्राप्त होगा, जिन ब्राण्डों का उत्पादन एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापी आसवक द्वारा अपनी आसवनी में किया जा रहा हो।

(iv) एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापी बिना आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति के भवन के बाहर स्थित अथवा भवन के अन्दर स्थित बाटलिंग–मशीन, वैट, पाईप लाईसेन्स व अन्य संसाधनों की अवस्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे।

(v) एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापी अपने अनुज्ञापन को ना बिकी कर सकेगा, ना बन्धक रखेगा ना ही किसी के नाम स्थानान्तरित करेगा, ना ही किराये पर देगा और ना ही साझेदारी में रखेगा।

(vi) एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापन उत्तर प्रदेश बाटलिंग नियमावली–1969, उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम–1910 उत्तराखण्ड राज्य के शासन के आदेशों तथा आबकारी आयुक्त के निर्देशों के अन्तर्गत कार्य करेंगे।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या 983(i)/XXIII/2012/04(55)/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी जनपद–हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियां सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन, 4–सुभाष रोड़ देहरादून तथा 100 प्रतियां आबकारी आयुक्त, गांधी रोड़, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त शासनादेश को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी विभाग
संख्याः 14 / XXIII / 2013 / 04(55) / 2012
देहरादूनः दिनॉकः 21 जनवरी, 2013

शुद्धि–पत्र

आबकारी विभाग, द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में बाटलिंग प्लांट की स्थापना हेतु जारी अधिसूचना संख्या–983 / XXIII / 2012 / 04(55) / 2012 दिनांक–24.12.2012 के बिन्दु संख्या 5 जो कि में एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन हेतु शुल्क का निर्धारण के सम्बन्ध में है, में उल्लिखित निम्न :–

"एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन शुल्क ₹ 2 लाख होगा। आवेदक द्वारा उक्त शुल्क एन0एस0सी0 के रूप में आबकारी आयुक्त के पदनाम से प्रतिश्रुत किया जायेगा। निर्धारित समयावधि में आवेदक, आसवनी द्वारा बाटलिंग प्लांट की स्थापना न कर पाने की स्थिति में उक्त प्रतिभूति की धनराशि को सरकार के पक्ष में जब्त करने का पूर्ण अधिकार आबकारी आयुक्त को होगा। निर्धारित समयावधि से अधिक समय की मांग किये जाने पर आवेदक द्वारा पुनः सम्पूर्ण धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी। एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन को जनहित में निरस्त करने का अधिकार आबकारी आयुक्त को होगा, किन्तु इस प्रकार एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन निरस्त करने से पूर्व एफ0एल0एम–2 अनुज्ञापी को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जायेगा। ऐसे निरस्त एफ0एल0एम0–02 को हुयी हानि का कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा, ना ही एफ0एल0एम–02 अनुज्ञापन शुल्क वापस किया जायेगा।"

के स्थान पर निम्नवत पढ़ा जाय :–

"एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन शुल्क ₹ 2 लाख होगा। उक्त शुल्क के अतिरिक्त आवेदक द्वारा ₹ 2 लाख की प्रतिभूति एन0एस0सी के रूप में जमा करानी होगी जो कि आबकारी आयुक्त के पदनाम से प्रतिश्रुत की जायेगी। निर्धारित समयावधि में आवेदक, आसवनी द्वारा बाटलिंग प्लांट की स्थापना न कर पाने की स्थिति में उक्त प्रतिभूति की धनराशि को सरकार के पक्ष में जब्त करने का पूर्ण अधिकार आबकारी आयुक्त को होगा। निर्धारित समयावधि से अधिक समय की मांग किये जाने पर आवेदक द्वारा पुनः सम्पूर्ण धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी। एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन को जनहित में निरस्त करने का अधिकार आबकारी

(डी0 बी0 सिंह)
संयुक्त आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।

आयुक्त को होगा, किन्तु इस प्रकार एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन निरस्त करने से पूर्व एफ0एल0एम–2 अनुज्ञापी को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जायेगा। ऐसे निरस्त एफ0एल0एम0–02 को हुयी हानि का कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा, ना ही एफ0एल0एम–02 अनुज्ञापन शुल्क वापस किया जायेगा।"

2. उक्त अधिसूचना संख्या–983/XXIII/2012/04(55)/2012 दिनांक 24.12.2012 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष प्रस्तर यथावत लागू रहेंगे।

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव

संख्या 14 (1)/XXIII/2013/04(55)/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री,राजकीय मुद्रणालय, रूडकी जनपद–हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियां सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन, 4–सुभाष रोड़ देहरादून तथा 100 प्रतियां आबकारी आयुक्त, गांधी रोड़, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त शासनादेश को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्याः 547 / XXIII/2012/04(55)/2016
देहरादून दिनांकः 17 अक्टूबर 2016

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना संख्या–983 / XXIII / 2012 / 04(55) / 2012 दिनांक–24.12.2012 एवं संख्या–14 / XXIII / 2012 / 04(55) / 2012 दिनांक–21.01.2013 के द्वारा प्रख्यापित बाटलिंग प्लांट की स्थापना से सम्बन्धित नीति में राज्य की भौगोलिक स्थिति के क्रम में बाटलिंग प्लांट की स्थापना के दृष्टिगत उक्त संदर्भित अधिसूचना में स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम 3–पात्रता की शर्तों के उपनियम (iv), (v) एवं नियम–7 का उपनियम (v) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये नियम रखे जाने एवं नियम 3 में उपनियम (vi) को स्तम्भ 2 के अनुसार समावेशित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र0सं0	वर्तमान नियम (स्तम्भ–1)	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम (स्तम्भ–2)
1	**नियम–3. पात्रता की शर्तें :** (iv)आवेदनकर्ता आसवनी और उसके द्वारा नामित व्यक्ति/कम्पनी उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी प्रकार के राजस्व का बकायेदार नहीं होना चाहियें। (v) आवेदक आसवनी या उसके द्वारा नामित व्यक्ति/कम्पनी लागू उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 आबकारी नियमों के तहत अनुज्ञापन हेतु विवर्जित नही होना चाहिए।	**नियम–3. पात्रता की शर्तें :** (iv)आवेदनकर्ता व्यक्ति/फर्म अथवा उसके साझेदार/कम्पनी अथवा उसके निदेशक उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी प्रकार के राजस्व का बकायेदार नहीं होना चाहिए। (v)आवेदनकर्ता व्यक्ति/फर्म अथवा उसके साझेदार/कम्पनी अथवा उसके निदेशक उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) एवं आबकारी नियमों के तहत अनुज्ञापन हेतु विवर्जित नहीं होना चाहिए। (vi)आवेदनकर्ता व्यक्ति/फर्म अथवा उसके साझेदार/कम्पनी अथवा उसके निदेशक किसी व्यक्ति या कम्पनी के साथ अनुबन्ध कर अपने मदिरा ब्राण्डों की भराई हेतु सम्बन्धित व्यक्ति या कम्पनी के साथ साझेदारी में बाटलिंग प्लान्ट स्थापना हेतु आवेदन कर सकती है।

		पात्रता की शर्तों में छूटः– उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय जनपदों, पौडी गढवाल (कोटद्वार तहसील को छोडकर) रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ, अल्मोडा, बागेश्वर, चम्पावत (पूर्णागिरी तहसील को छोडकर), देहरादून जनपद की पर्वतीय तहसील चकराता, कालसी एवं त्यूनी तथा जनपद नैनीताल की पर्वतीय तहसील नैनीताल, धारी, बेतालघाट तथा कोश्यांकुटोली में बॉटलिंग प्लान्ट स्थापित करने के लिए कोई भी आवेदनकर्ता व्यक्ति/फर्म अथवा उसके साझेदार/कम्पनी अथवा उसके निदेशक अपने ब्राण्डों की भराई हेतु आवेदन कर सकेगा। उपरोक्त जनपदों एवं तहसीलों में विदेशी मदिरा की भराई हेतु बॉटलिंग प्लान्ट स्थापित करने के लिए बाटलिंग प्लांट स्थापना नियामावली, 2012 के नियम–3 के उप नियम–(i) (ii) (iii) एवं नियम–7 के उपनियम (iii) के प्राविधान बाध्यकारी नहीं होंगे किन्तु उक्त के अतिरिक्त शेष प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।
2	**नियम–7 एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापन हेतु शुल्क का निर्धारण :–** **उपनियम–(v)** एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापी अपने अनुज्ञापन को ना बिक्री कर सकेगा, ना बंधक रखेगा, ना ही किसी के नाम स्थानान्तरित करेगा ना ही किराये पर देगा और ना ही साझेदारी में रखेगा।	**नियम–7 एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापन हेतु शुल्क का निर्धारणः–** **उपनियम–(v)** एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापी अपने अनुज्ञापन को ना बिक्री कर सकेगा, ना बंधक रखेगा, ना ही किसी के नाम स्थानान्तरित करेगा ना ही किराये पर देगा। परन्तुक, प्रस्तावित संशोधन प्रख्यापित होने से पूर्व उपरोक्त पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित/प्रक्रियाधीन एफ0 एल0 एम0–02 अनुज्ञापनों पर भी उक्त संशोधन प्रभावी होंगे।

अतः अधिसूचना संख्या–983/XXIII/2012/04(55)/2012 दिनांक–24.12.2012 एवं संख्या–14/XXIII/2012/04(55)/2012 दिनांक–21.01.2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(सी0एस0नपलच्याल)
सचिव

कार्यालय आबकारी आयुक्त
409
24/10/2016
उत्तराखण्ड, देहरादून

अपर आयुक्त (लाइ०)

21/10/16

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या:584/ XXIII/2016/04(55)/2016
देहरादूनः दिनॉंक: 20 अक्टूबर 2016

शासन की अधिसूचना संख्या–547/XXIII/2012/04(55)/2016 दिनांक–17.10.2016 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न अधिसूचना की 100 प्रति सामान्य गजट में प्रकाशित करने हेतु ।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

संयुक्त / उपायुक्त (लाइ०)

21/10/2016
(डी० वी० सिंह)
अपर आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड

श्री सक्सेना (व० स० आफिस) गार्ड फाईल में सुरक्षित करें।

22/10/16
उपायुक्त

io letter pk 2016

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या:659/ XXIII/2016/04(55)/2012
देहरादून: दिनॉक: 23 नवम्बर 2016

शासन की अधिसूचना संख्या–640/XXIII/2012/04(55)/2012 दिनांक–23.11..2016 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न अधिसूचना की 100 प्रति सामान्य गजट में प्रकाशित करने हेतु ।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(जीवन सिंह)
अनु सचिव

uo letter pk 2016

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या:640 / XXIII / 2016 / 04(55) / 2012
देहरादूनः दिनॉकः 23 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना संख्या–983 / XXIII / 2012 / 04(55) / 2012 दिनांक–24.12.2012, संख्या–14 / XXIII / 2013 / 04(55) / 2012 दिनांक–21.01.2013 एवं संख्या–547 / XXIII / 2012 / 04(55) / 2016 दिनांक–17.10.2016 के द्वारा प्रख्यापित बाटलिंग प्लांट की स्थापना नियमावली में राज्य की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत पर्वतीय क्षेत्रों में बाटलिंग प्लांट की स्थापना हेतु उक्त संदर्भित अधिसूचना के स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम–3 पात्रता की वर्तमान शर्तों के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये नियम रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र0 सं0	वर्तमान नियम (स्तम्भ–1)	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम (स्तम्भ–2)
1	**नियम–3. पात्रता की शर्तें :** (vi)आवेदनकर्ता व्यक्ति / फर्म अथवा उसके साझेदार / कम्पनी अथवा उसके निदेशक किसी व्यक्ति या कम्पनी के साथ अनुबन्ध कर अपने मदिरा ब्राण्डों की भराई हेतु सम्बन्धित व्यक्ति या कम्पनी के साथ साझेदारी में बाटलिंग प्लान्ट स्थापना हेतु आवेदन कर सकती है। **पात्रता की शर्तों में छूटः–** उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय जनपदों, पौडी गढवाल (कोटद्वार तहसील को छोडकर) रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ, अल्मोडा, बागेश्वर, चम्पावत (पूर्णागिरी तहसील को छोडकर), देहरादून जनपद की पर्वतीय तहसील चकराता, कालसी एवं त्यूनी तथा जनपद नैनीताल की पर्वतीय तहसील नैनीताल, धारी, बेतालघाट तथा कोश्यांकुटोली में बॉटलिंग प्लान्ट स्थापित करने के लिए कोई भी आवेदनकर्ता व्यक्ति / फर्म अथवा उसके साझेदार / कम्पनी अथवा उसके निदेशक अपने ब्राण्डों की भराई हेतु आवेदन कर सकेगा। उपरोक्त जनपदों एवं तहसीलों में विदेशी मदिरा की भराई हेतु बॉटलिंग प्लान्ट स्थापित करने के लिए बाटलिंग प्लांट स्थापना नियामावली, 2012 के नियम–3 के उप नियम–(i) (ii) (iii) एवं	**नियम–3. पात्रता की शर्तें :** (vi)आवेदनकर्ता व्यक्ति / फर्म अथवा उसके साझेदार / कम्पनी अथवा उसके निदेशक किसी व्यक्ति या कम्पनी के साथ अनुबन्ध कर अपने मदिरा ब्राण्डों की भराई करने हेतु बाटलिंग प्लान्ट स्थापना हेतु आवेदन कर सकती है। **पात्रता की शर्तों में छूटः–** उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय जनपदों, पौडी गढवाल (कोटद्वार तहसील को छोडकर) रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ, अल्मोडा, बागेश्वर, चम्पावत (पूर्णागिरी तहसील को छोडकर), देहरादून जनपद की पर्वतीय तहसील चकराता, कालसी तहसील का पर्वतीय क्षेत्र एवं त्यूनी तथा जनपद नैनीताल की पर्वतीय तहसील नैनीताल, धारी, बेतालघाट तथा कोश्यांकुटोली में बॉटलिंग प्लान्ट स्थापित करने के लिए किसी भी आसवनी / फर्म / कम्पनी / व्यक्ति को अपने विदेशी मदिरा ब्राण्डों की भराई हेतु बाटलिंग प्लांट का अनुज्ञापन दिया जायेगा। उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्रों में विदेशी मदिरा की भराई हेतु बॉटलिंग प्लान्ट स्थापित करने के लिए मूल बाटलिंग प्लांट स्थापना नियामावली, 2012 के नियम–3 के उप नियम–(i) (ii) (iii) एवं

	नियम–7 के उपनियम (iii) के प्राविधान बाध्यकारी नहीं होंगे किन्तु उक्त के अतिरिक्त शेष प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।	नियम–7 के उपनियम (iii) के प्राविधान बाध्यकारी नहीं होंगे किन्तु उक्त के अतिरिक्त शेष प्राविधान यथावत लागू रहेंगे। II- अपने ब्राण्डों के अतिरिक्त आवेदक अन्य किसी भी आसवनी/कम्पनी/फर्म के ब्राण्डों की भी भराई अपने अनुज्ञापन के अन्तर्गत कर सकेगा। इसके लिये अनुज्ञापी को पृथक से एफ0एल0एम0–03ए अनुज्ञापन लिया जाना अनिवार्य होगा। III- एफ0एल0एम0–03ए अनुज्ञापन हेतु अनुज्ञापन शुल्क रूपये 2 लाख (रूपये दो लाख मात्र) वर्ष या वर्ष के भाग के लिये देय होगा। IV- एफ0एल0एम0–03ए अनुज्ञापन जनपद के कलैक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से जारी किया जायेगा।

अतः अधिसूचना संख्या–983/XXIII/2012/04(55)/2012 दिनांक–24.12.2012, संख्या–14/XXIII/2013/04(55)/2012 दिनांक–21.01.2013 एवं संख्या–547/XXIII/2012/04(55)/2016 दिनांक–17.10.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

24/11/16

(सी0एस0नपलच्याल)
सचिव